WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092024-256869
CG-DL-E-03092024-256869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3416] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2024/भाद्र 12, 1946
No. 3416] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2024/BHADRA 12, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

सं. 25/2024

विषय : स्कोमेट अद्यतन 2024 –निर्यात और आयात मदों के आइटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची–2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मद) में संशोधन।

का.आ. 3746(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 14 क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात और आयात मदों के आइटीसी (एचएस) वर्गीकरण 2018 की अनुसूची–2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मद) में संशोधन करती है, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुलग्नक में संलग्न है।

2. इस अधिसूचना के अनुलग्नक के रुप में निर्यात और आयात मदों के आइटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची–2 का अद्यतित परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मद) शीर्षक ''नियामक अपडेट्स'' और उप–शीर्षक ''आयात, निर्यात और स्कोमेट नीति'' के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

3. उद्योग को परिवर्तन का समय प्रदान करने के लिए यह अधिसूचना जारी होने की तारीख के 30 दिनों के बाद प्रभावी होगी।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

इस अधिसूचना का प्रभावः

निर्यात और आयात मदों के आइटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची–2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मद) में संशोधन करने के लिए वार्षिक स्कोमेट अपडेट–2024 अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/37/एएम10/इसी (एस)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणीः– प्रधान अधिसूचना सं. 05 दिनांक 24 अप्रैल, 2017, अधिसूचना सं. 13 दिनांक 28 जून 2017, अधिसूचना सं. 29 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, अधिसूचना सं. 17 दिनांक 3 जुलाई, 2018, अधिसूचना सं. 04 दिनांक 24 अप्रैल 2019, अधिसूचना सं. 10 दिनांक 11 जून, 2020 अधिसूचना सं. 47 दिनांक 20.12.2021, अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30.11.2022, अधिसूचना सं. 27 दिनांक 28.08.2023।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2024

No. 25/2024

Subject: SCOMET Updates 2024 - Amendment in Appendix 3 (SCOMET items) to Schedule- 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018.

S.O. 3746(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023,as amended from time to time, the Central Government hereby makes the amendment in Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule -2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items 2018, as enclosed in the Annexure to this Notification.

2. The updated Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule- 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018 as annexure to this notification would be uploaded on the web-portal of DGFT under heading "Regulatory Updates" and Sub-heading "Import, Export and SCOMET policy".

3. In order to provide transition time to industry, this Notification shall come into effect after 30 days of the date of issuance.

Effect of this Notification:-

Annual SCOMET Update - 2024 has been notified to amend Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule-2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018.

[F. No. 01/91/171/37/AM10/EC(S)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade and Addl. Secy.

Note: Principal Notification No. 05 dated 24th April 2017, Notification No. 13 dated 28th June 2017, Notification No. 29 dated 21st September 2017, Notification No. 17 dated 3rd July, 2018, Notification No. 04 dated 24th April 2019, Notification No. 10 dated 11th June 2020, Notification No. 47 dated 20.12.2021, Notification No. 46 dated 30.11.2022, and Notification No. 27 dated 28.08.2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.